

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-

राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.- 74/2019

निर्णय दिनांक :- 11-11-2022

जगदीश वगै० बनाम मानसिंह वगै०

दावा बाबत खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री रामेश्वरदयाल एड० व प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लायी जाने के कारण उनकी अनुउपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 11.11.2022 को राजेन्द्र कुमार, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

“ न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत खसरा न० 220 रकबा 1.71 है, ख०न० 293 रकबा 1.71, ख०न० 296 रकबा 0.01 है० गै०मु० कुआ, ख०न० 297 रकबा 7.60 है कुल कित्ता 04 कुल रकबा 11.03 है स्थित ग्राम पीपली में विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। ”

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 11.11.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजेन्द्र कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

पदेन उप जिला कलक्टर

सूरजगढ